147

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष: एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निग0 3579-एक/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 30-8-14 पारित द्वारा अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर प्रकरण क्रमांक अपील 338/अ-6/12-13.

रामरतन सिंगरहा आ. धन्नू सिंगरहा,
निवासी सिंगरहा मोहल्ला, गढा,
जिला जबलपुर म0प्र0 ---- आवेदक

विरूद्ध

1. बृजेश कुमार आ. रमेश चन्द्र अग्रवाल
   निवासी नैपीयर टाउन जबलपुर
2. श्रीमती कलावती बेवा होरीलाल
   निवासी सिंगरहा मोहल्ला, गढा,
   जिला जबलपुर म0प्र0
3. श्रीमती ममता पति राकेश कुमार अग्रवाल,
   निवासी 286, नेपियर टाउन, जबलपुर
4. श्रीमती कीर्तीपति बृजेश कुमार अग्रवाल,
   निवासी 286, नेपियर टाउन, जबलपुर
5. म. प्र. शासन द्वारा तहसीलदार,
   नजूल जबलपुर म0प्र0 ---- अनावेदकगण

श्री शकील अहमद, अधिवक्ता, आवेदक ।
श्री जय सचदेवा, अधिवक्ता, अनावेदकगण ।

:: आदेश ::

(आज दिनांक 29-3-16 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के अपील प्रकरण क्रमांक 338/अ-6/12-13 में पारित आदेश दिनांक 30-8-2014 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व

संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2 प्रकरण के तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में विस्तार से उल्लिखित होने से उन्हें पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं है ।

3 आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि स्थित ग्राम गंगासागर खसरा नं. 58/1 रकबा 0.089 हैक्टर आवेदक के पिता धन्नू पिता घसीटे के स्वामित्व की है जो वर्ष 2002 तक दर्ज चली आई और वर्ष 2002 में बजरीय अतिशेष दर्ज हो गई और इसके बाद अनावेदकों ने अवैध तरीके से अपने नाम दर्ज करा लिया

यह तर्क दिया गया कि आवेदकों के पिता धन्नू के नाम से कोई सीलिंग प्रकरण नहीं चला सीलिंग प्र0क्र0 96/अ-90/ब-9/1982-83 श्रीमती कलावती पत्नि होरीलाल के नाम से बना और उसी पर कार्यवाही हुई । अनावेदकों का नाम आवेदकों के पिता की संपत्ति पर दर्ज होना राजस्व अधिकारियों की भूल है क्योंकि उन्होंने उक्त संपत्ति को कलावती को विक्रय नहीं किया और ना ही उनके वारिसों को किया है ।

यह तर्क दिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने नामांतरण आदेश को चुनौती नहीं देना लेख किया है जबकि आवेदक उक्त नामांतरण आदेश में पक्षकार नहीं था तब उस आदेश को चुनौती देना आवश्यक नहीं है । आवेदक अपने पिता के वारिसान होने के नाते फोती दर्ज कराने का अधिकारी है । आवेदक एवं उसके पिता ने उक्त संपत्ति को किसी को विक्रय नहीं किया है तब अनावेदकों द्वारा फर्जी तरीके से विक्रयपत्र कराकर अपना नाम रिकार्ड में दर्ज करा लेने से वह मालिक व स्वामी नहीं हो जाते हैं । इस संबंध में उनके द्वारा (2007) 4 सुप्रीम कोर्ट केससेस 221 का हवाला दिया गया है ।

यह तर्क दिया गया है कि राजस्व अधिकारियों का कार्य राजस्व अभिलेखों को शुद्ध/अद्यतन रखना है । अधीनस्थ न्यायालय को राजस्व अभिलेख शुद्ध कर आवेदक का नाम उसके पिता के नाम की जगह दर्ज करना था जो न कर त्रुटि की गई है ।

यह तर्क दिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह कहना कि व्यवहार न्यायालय का आदेश पालनीय होगा इसी । व्यवहार न्यायालय ने 4-9-14 को विस्तार से उल्लेख किया है कि आवेदक का नाम यदि राजस्व न्यायालय दर्ज करता है तो

व्यवहार न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि राजस्व न्यायालय का कार्य दीवानी न्यायालय के आधीन नहीं है । उक्त आधार पर आवेदक अधिवक्ता द्वारा निगरानी स्वीकार करने तथा आवेदक का नाम उसके पिता के स्थान पर दर्ज किए जाने एवं अनावेदकों का नाम विलोपित किए जाने के आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदकों की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस में मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अनावेदकगण भूमि खसरा नं. 58/1 रकबा 0.089 के विगत 24 वर्षो से कब्जाधारी है उपरोक्त भूमि अनावेदकों द्वारा श्रीमती कलावती सिंगरहा पति स्व. श्री होरीलाल सिंगरहा एवं उसके पुत्रों को पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 22-9-92 के माध्यम से क्रय कर शासकीय अभिलेखों में अपना नाम दर्ज कराया है जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा कोई अपील या आपत्ति नहीं की गई ।

यह तर्क दिया गया कि उपरोक्त भूमि श्रीमती कलावती सिंगरहा एवं उसके पुत्रों के नाम दर्ज थी तथा सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा द्वारा प्र0क्र0 96/अ-90/स-9/82-83 के द्वारा उन्हें स्वामी एवं कब्जेदार घोषित किया गया था इसी आधार पर अनावेदकों ने उपरोक्त भूमि क्रय की थी । सक्षम अधिकारी के आदेश को कोई चुनौती आवेदक अथवा उसके पिता ने नहीं दी ।

यह तर्क दिया गया है कि आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपील में अपने आपको अपने माता-पिता का एक मात्र वारिस बताया है जबकि आवेदक के अलावा इसकी दो बहने भी हैं । आवेदक द्वारा झूंठे एवं मिथ्या कथन किया गया है ।

यह तर्क दिया गया है कि तहसीलदार, नजूल के राजस्व प्रकरण क्रमांक 40/अ-6-अ/2000-01 में पारित आदेश दिनांक 26-9-01 द्वारा अनावेदकों का नाम दर्ज किया गया है तथा वर्तमान में भी दर्ज है इस आदेश के विरूद्ध कोई अपील आदि आवेदक ने पेश नहीं की है, इस कारण उक्त आदेश अंतिम हो गया है ।

यह तर्क दिया गया है कि आवेदक द्वारा अपनी पुनरीक्षण याचिका में स्वयं यह कहा है कि उनके द्वारा उन्नीसवें अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के समक्ष व्यवहार वाद क्रमांक 97/ए/2010 पेश कर उपरोक्त भूमि के विक्रयपत्र को निरस्त करने की सहायता

चाही है इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपील निरस्त की है जोकि पूर्णतः वैधानिक है ।

यह तर्क दिया गया कि अनावेदकों द्वारा पूर्णतः वैधानिक तरीके से उपरोक्त भूमि वैधानिक स्वामियों से क्रय कर भूमि का नामांतरण एवं डायवर्सन कराकर 1992 से कब्जेदार हैं एवं मारबल का व्यवसाय कर रहे हैं । आवेदक द्वारा असत्य कथनों के आधार पर अनावेदकों को परेशान कर अवैध लाभ प्राप्त करने हेतु यह याचिका पेश की गई है ।

यह तर्क दिया गया है कि तीनों न्यायालयों द्वारा उचित निर्णय दिए गए हैं । भूमि के स्वामित्व के संबंध में सिविल न्यायालय में प्रकरण आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया जा चुका है जो कि लंबित है अतः निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से यह पाया जाता है कि प्रश्नाधीन भूमि सर्वे नंबर 58/1 रकबा 0.089 हैक्टर सक्षम अधिकारी, नगर भूमि सीमा के प्रकरण क्रमांक 96/अ-90/ब-9/82-83 में पारित आदेश दिनांक 23-10-84 द्वारा अतिशेष घोषित की गई है । उक्त आदेश को आवेदक अथवा उसके पिता द्वारा कहीं भी वरिष्ठ न्यायालय में कोई चुनौती नहीं दी गई है । इस आदेश के उपरांत सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 14-8-89 के आदेश द्वारा भूमि को नगरीय अतिशेष से मुक्त किया गया है । आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि की भूमिस्वामी कलावती न होकर आवेदक के पिता धन्नू थे । यहां यह भी विचारणीय प्रश्न है कि धन्नू की मृत्यु के उपरांत भी आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमियों पर नामांतरण के संबंध में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है । भूमि सीलिंग से मुक्त होने के उपरांत कलावती एवं उसके पुत्रों द्वारा अनावेदक 1, 3 एवं 4 को विक्रय की गई है और प्रश्नाधीन भूमि पर उनका नामांतरण हो गया है । अतः उपरोक्त स्थिति में तहसीलदार द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है और तहसील न्यायालय के विधिसम्मत आदेश की पुष्टि करने में अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा

निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष वैधानिक एवं उचित हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-8-14 स्थिर रखा जाता है ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य,
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर